<u>विधान सभा संबंधी कार्य/अत्यावश्यक</u>

राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांकः प.11(1)विधि/2/2020 जयपुर, दिनांकः
3 0 JUL 2020

<u>परिपत्र</u>

विषयः–पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा के पंचम सत्र में लिये जाने वाले विधायी कार्यों के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा का पंचम सत्र शुक्रवार दिनांक 14 अगस्त, 2020 से प्रारम्भ होने जा रहा है। सत्र में लिये जाने वाले विधायी कार्य के संबंध में सभी प्रशासनिक विभागों के ध्यान में लाया जाता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के विधेयकों को विधान सभा में पुरःस्थापन करने के प्रस्तावित दिन से सात दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करने के निर्देश हैं।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे विधेयकों, जिन्हें उक्त सत्र में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव हो, को अन्तिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य को राजस्थान कार्यविधि नियमों के नियम 38 से 52 तथा राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैन्यूअल, 1999 के नियम 55 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कर लेवें। मंत्रिमण्डलीय आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली पर पुरःस्थापन किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव मय उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा यथा–आवश्यक वित्तीय ज्ञापन तथा प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन के प्रारूपों की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिप्रमाणित प्रतियां (सॉफ्ट प्रति सहित) संलग्न कर संबंधित विधेयक प्रस्ताव **अविलम्ब** विधि (ग्रुप–2) विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें विधान सभा के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किये जाने की कार्यवाही समय पर किया जाना सम्भव हो सके।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगणों को ई–मेल करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

30.7.2020

प्रमुख शासन सचिव